भारत सरकार

पेयजल एवं स्‍वच्छता मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं० 21

दिनाँक 30.11.2015 को उत्‍तर दिए जाने के लिए

**xzkeh.kksa dks lqjf{kr is;ty eqgS;k djk;k tkuk**

**21- Jh jke dqekj d';i%**

 D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 47 ds vuqlkj ukxfjdksa dks LoPN is;ty eqgS;k djkuk ljdkj dk dÙkZO; gS(

¼[k½ D;k c<+rh tula[;k ds lkFk ty dh vkSlr miyC/krk yxkrkj de gksrh tk jgh gS vkSj ,slk vuqeku gS fd Hkkjr 2020 rd ikuh dh deh okyk jk"Vª cudj jg tk,xk(

¼x½ D;k gekjs ns'k esa Hkwfexr ty] ty dk cM+k lzksr gS D;ksafd 85 izfr'kr vkcknh bl ij fuHkZj gS( vkSj

¼?k½ ;fn gk¡] rks xzkeh.k vkcknh dks lqjf{kr is;ty eqgS;k djkus ds fy, fd, x, mik;ksa dk C;kSjk D;k gS\

**उत्‍तर**

**राज्‍य मंत्री, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**(श्री रामकृपाल यादव)**

(क) महोदय, संविधान की धारा 47 बताती है कि ‘राज्‍य पोषण के बढ़ते स्‍तर और अपने नागरिकों के जीवन मानकों तथा अपने प्रारंभिक कर्तव्‍यों के रूप में सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार का सम्‍मान करेगा, और विशेष रूप से, राज्‍य नशीले पेय और नशीली दवाओं जो स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक हैं, औषधीय उद्देश्‍यों को छोड़कर, सेवन करने पर लगभग प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। इस धारा में सभी नागरिकों को स्‍वच्‍छ पेयजल उपलब्‍ध कराने के सरकार के कर्तव्‍य का विशेष रूप से उल्‍लेख नहीं किया गया है। तथापि, राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी) के दिशा-निर्देशों में उल्‍लिखित राष्‍ट्रीय लक्ष्‍य के अनुसार मंत्रालय का लक्ष्‍य देश में सभी ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्‍ध कराना है।

(ख) यह मंत्रालय देश में संपूर्ण रूप से जल की उपलब्‍धता की निगरानी नहीं करता। फिर भी हम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्‍धता की निगरानी करते हैं। तथापि, बढ़ती हुई जनसंख्‍या और औद्योगिक तथा कृषि संबंधी उपयोग के लिए बढ़ती हुई आवश्‍यकताओं ने अनेक क्षेत्रों में सूखे की स्‍थिति को अधिक विकट बना दिया है, कुल मिलाकर (जल की) औसत उपलब्‍धता कम हो रही है।

(ग) जी हाँ।

(घ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्‍य का विषय है। यह मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं पर्याप्‍त पेयजल आपूर्ति सुविधाएँ उपलब्‍ध कराने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी के अंतर्गत राज्‍यों को तकनीकी एवं वित्‍तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता करता हे। वर्ष 2015-16 में एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी के लिए 3796 करोड़ रू० का बजट आबंटन किया गया है। उसमें से कवरेज, जल गुणवत्‍ता, स्‍थायित्‍व, प्रचालन और रख-रखाव, मरूस्‍थल विकास कार्यक्रम जैसे एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी के विभिन्‍न घटकों के लिए राज्‍यों को 2715.49 करोड़ रू० पहले ही जारी कर दिए गए हैं, रासायनिक संदूषण अथवा जापानी एनसेफेलाइटिस अथवा एक्‍यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम एवं आपदा की समस्‍या पर काबू पाने के लिए निधियाँ निर्धारित की हैं।

\*\*\*